पत्र संख्या-ए0/यो0लीटीगेशन सेल-17/2011..571../जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव, बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेलपथ, पटना।

द्वारा - वित्त विभाग

पटना दिनांक...16/09/11

विषय: **विधि विभाग में "बिहार स्टेट लीटीगेशन सेल" के गठन के निमित्त राजपत्रित/अराजपत्रित अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आदेश स्वीकृत।

2. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में सरकारी मुकदमों के नियमित अनुश्रवण प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से विधि विभागीय अधिसूचना सं0-1853जे0 दिनांक 31.03.2011 द्वारा "बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011" (Bihar State Litigation Policy, 2011) का गठन किया गया है।

3. बिहार राज्य मुकदमा नीति को राज्य में पूर्णरूपेण प्रभावकारी बनाने तथा उसका नियमित अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। इसके तहत सभी विभागों/सभी जिलों/सभी अनुमंडलों से संबंधित मुकदमा नीति का अनुश्रवण का कार्य विधि विभाग के स्तर से किया जाना है। इसके निमित्त विधि विभाग बिहार स्टेट लीटीगेशन सेल के गठन हेतु निम्नांकित राजपत्रित एवं अराजपत्रित अस्थायी पदों का सृजन मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 13.09.11 के मद सं0-11 में प्राप्त स्वीकृति के फलस्वरूप सृजित किया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पे-बैण्ड	ग्रेड-पे	पदों की संख्या
1.	अवर सचिव	15600-39100	पी0बी0-3	6600	1 (एक)
2.	प्रशाखा पदाधिकारी	9300-34800	पी0बी0-2	4800	1 (एक)
3.	सहायक	9300-34800	पी0बी0-2	4600	4 (चार)
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200	पी0बी0-1	2400	2 (दो)

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप इसके स्थापना व्यय का विकलन बजट शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें, लधु शीर्ष-090 सचिवालय उपशीर्ष-0018 विधि विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत उपबंध से होगा एतद् संबंधी अनुमानित व्यय की विवरणी संलग्न है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग होंगे तथा इसकी निकासी सचिवालय कोषागार, सिचांई भवन, पटना से होगी।

6. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है। संचिका सं0 ए0/यो0लीटी0गेशन सेल-17/2011पृ0-22टि0.............

7. इसमें प्राधिकार पत्र में आवश्यकता नहीं है।

अनु0-यथाकथित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः ......542....../जे0, पटना, दिनांकः-.....16/09/11.....

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्याः ......542....../जे0, पटना, दिनांकः-.....16/09/11.....

प्रतिलिपिः-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना विधि विभाग (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।